रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 470] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 26, 2004/कार्तिक 4, 1926
No. 470] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 2004/KARTIKA 4, 1926

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2004

सा.का.नि. 703(अ).—संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति, उस धारा की उपधारा (3) के खंड (गगग), (च) और (चचच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, आवास और टेलीफोन सुविधा (संसद् सदस्य) नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए जिसकी उक्त धारा की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन और पुष्टि कर दी गई है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आवास और टेलीफोन सुविधा (संसद् सदस्य) (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय, ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आवास और टेलीफोन सुविधा (संसद् सदस्य) नियम, 1956 में—

(क) नियम 2 के उपनियम (1) में, परन्तुक के **पश्चात्,** निम्नलिखित परन्तुक **अंत:स्थापित** किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि कोई सदस्य, रिटर्निंग आफिसर द्वारा उसे निर्वाचित घोषित किए जाने के ठीक पश्चात्, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) के उपबंधों के अधीन ऐसी घोषणा की राजपत्र में अधिसूचना से पूर्व दिल्ली आता है तो उसे दिल्ली में उसके पहुंचने की तारीख से उसे, यथास्थिति, फ्लैट या बंगला के रूप में सरकारी आवास आबंटित किए जाने तक मार्गस्थ आवास उपलब्ध कराएगा।"

(ख) नियम 4 के उपनियम (6) में, परन्तुक के **पश्चात्,** निम्नलिखित परन्तुक **अंत:स्थापित** किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि प्रत्येक सदस्य, उपनियम (1), उपनियम (3) और उपनियम (5) के अधीन उसे उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कालों का उपयोग करने के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या भारत संचार निगम लिमिटेड या जहां महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या भारत संचार निगम लिमिटेड की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं वहां किसी अन्य प्राइवेट मोबाइल आपरेटर से राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा के साथ मोबाइल फोन इस शर्त के अधीन रहते हुए प्राप्त करने का हकदार होगा कि प्राइवेट मोबाइल फोन के लिए रजिस्ट्रीकरण और किराया प्रभार स्वयं सदस्य द्वारा वहन किए जाएंगे।"

(ग) नियम 4क में—

(i) उपनियम (3) के **पश्चात्,** निम्नलिखित उपनियम **अंत:स्थापित** किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3क) कोई सदस्य नियम 4 के उपनियम (1), उपनियम (3) और उपनियम (5) के अधीन उसे उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कालों का उपयोग करने के लिए कितने भी टेलीफोनों का उपयोग करने का इस शर्त के अधीन रहते हुए हकदार है कि उक्त टेलीफोन उस नियम में अंतर्विष्ट स्थानों पर उसके नाम में होने चाहिए और नियम 4 के उपनियम (1), उपनियम (3) और उपनियम (5) के अधीन उसे उपलब्ध कराए गए तीन टेलीफोनों से भिन्न टेलीफोनों के लगाने और किराया प्रभार स्वयं सदस्य द्वारा वहन किए जाएंगे।"

(ii) उपनियम (4) के **पश्चात्,** निम्नलिखित उपनियम 1 अप्रैल, 2002 से **अंत:स्थापित** किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(4क) जहां कोई सदस्य 1 अप्रैल, 2002 से या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी वर्ष में नियम 4 के उपनियम (1), उपनियम (3) और उपनियम (5) के अधीन उपलब्ध कराए गए टेलीफोनों पर उसे उपलब्ध नि:शुल्क टेलीफोन कालों का उपयोग नहीं करता है तो अतिशेष अनप्रयुक्त टेलीफोन काल उसका स्थान रिक्त होने तक पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत हो जाएंगे"।

(iii) उपनियम (6) के **पश्चात्,** निम्नलिखित उपनियम **अंत:स्थापित** किया जाएगा, अर्थात् :—

"(7) सदस्य नियम 4 के उपनियम (1), उपनियम (3) और उपनियम (5) के अधीन उसे उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कालों से अधिक किए गए स्थानीय कालों के प्रभारों की बाबत संदाय करने का दायी होगा।"

[सं. आर एस-8/2004/एमएसए]

तपन चटर्जी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम का.नि.आ. 1972, दिनांक 8 मई, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उसमें अधिसूचना सं. सा.का.नि. 450(अ) दिनांक 13 मई, 2000 और सा.का.नि. 719(अ) दिनांक 23 अक्तूबर, 2002 द्वारा संशोधन किया गया था।

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2004

G. S. R. 703(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (ccc), (f) and (fff) of sub-section (3) of Section 9 of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), the Joint Committee constituted under sub-section (1) of that section, after consultation with the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956, the same having been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People, as required under sub-section (4) of the said section, namely :—

1. (1) These rules may be called the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) (Amendment) Rules, 2004.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956—

(a) In rule 2, in sub-rule (1), **after** the proviso, the following proviso shall be **inserted,** namely :—

"Provided further that in case a Member comes to Delhi immediately after he is declared elected by the Returning Officer, prior to the notification in the Official Gazette for such declaration under the provisions of the Representation of Peoples Act, 1951 (43 of 1951), he shall be provided transit accommodation from the date of his arrival at Delhi till he is allotted a Government accommodation in the form of flat or bungalow as the case may be."

(b) In rule 4, in sub-rule (6), **after** the proviso, the following proviso shall be **inserted,** namely :—

"Provided further that every Member is entitled to avail mobile phones with national roaming facility from Mahanagar Telephone Nigam Limited or Bharat Sanchar Nigam Limited or any other private mobile operator, where Mahanagar Telephone Nigam Limited or Bharat Sanchar Nigam Limited services are not available, for utilising total free local calls available to him under sub-rule (1), sub-rule (3) and sub-rule (5), subject to the condition that the registration and rental charges for the private mobile phone shall be borne by the Member himself."

(c) In rule 4A,

(i) **after** sub-rule (3), the following sub-rule shall be **inserted,** namely :—

"(3A) A Member is entitled to use any number of telephones for utilising total free local calls available to him under sub-rule (1), sub-rule (3) and sub-rule (5) of rule 4 subject to the condition that the telephones should be in his name at the places specified in that rule and installation and rental charges of telephones other than the three telephones provided to him under sub-rule (1), sub-rule (3) and sub-rule (5) of rule 4 shall be borne by the Member himself."

(ii) after sub-rule (4), following sub-rule shall be deemed to have been inserted, with effect from 1st day of April, 2002, namely :—

"(4A) Where a member does not utilise the free telephone calls available to him on the three telephones provided under sub-rule (1), sub-rule (3) and sub-rule (5) of rule 4, in any year beginning on or after the 1st day of April, 2002, the balance unutilised telephone calls shall be carried forward to the subsequent years till his seat becomes vacant."

(iii) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(7) A Member is liable to make payment in respect of charges of local calls made in excess of total local calls available to him under sub-rule (1), sub-rule (3) and sub-rule (5) of rule 4."

[No. RS-8/2004/MSA]

TAPAN CHATTERJEE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published *vide* S.R.O. 1972 dated the 8-5-1956 and subsequently amended *vide* notification numbers G.S.R. 450(E), dated 13th May, 2000 and G.S.R. 719(E), dated 23rd October, 2002.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2004

सा.का.नि. 704(अ).—संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति, उस धारा की उपधारा (3) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, संसद सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ता) नियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए जिसकी राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा उक्त धारा की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अनुमोदन और पुष्टि कर दी गई है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ता) (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय, ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संसद सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ता) नियम, 1957 में—

(क) नियम 3क में,—

(i) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(1) सदस्य किसी एयरलाइन्स में वायुयान द्वारा की गई यात्रा की बाबत यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार है।

(1क) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) में या धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख), और उपधारा (2) में निर्दिष्ट वायुयान के किराए की गणना सीधे मार्ग से की जाएगी :

परन्तु जहां एक से अधिक मार्ग हैं वहां वायुयान के किराए की गणना उस मार्ग से की जाएगी जिससे सदस्य अपने गंतव्य स्थान पर अधिक शीघ्रता से पहुंच सकता है।"

(ii) उपनियम 5 में,—

(i) खंड (ii) में, "6 ख (iii)" अंक, अक्षर और कोष्ठकों के स्थान पर "6ख" अंक और अक्षर 7 जून, 2000 से रखे गए समझे जाएंगे।

(ii) उपनियम (5) के परन्तुक में, "इंडियन एयरलाइन्स/वायुदूत" शब्दों के स्थान पर "संबद्ध एयरलाइन्स" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) नियम 4क में, "5 रुपए प्रति किलोमीटर" अंक और शब्दों के स्थान पर "8 रुपएं प्रति किलोमीटर" अंक और शब्द 14 सितम्बर, 2001 से रखे गए समझे जाएंगे।

(ग) नियम 5 में, टिप्पण में "200 रुपए" अंकों और शब्दों के स्थान पर "500 रुपये" अंक और शब्द 14 सितम्बर, 2001 से रखे गए समझे जाएंगे।

(घ) नियम 10 के उपनियम (2) के परन्तुक में "अट्ठाईस" शब्द के स्थान पर "बत्तीस" शब्द 20 अगस्त, 1998 से रखे गए समझे जाएंगे।

[सं. आर एस-8/2004/ एम एस ए]

तपन चटर्जी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम का.नि.आ. 1150, दिनांक 6 अप्रैल 1957 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उसमें अधिसूचना सं. सा.का.नि. 339(अ) दिनांक 2 जुलाई, 1973, सा.का.नि. 770(अ) दिनांक 1 अक्तूबर, 1983 और सा.का.नि. 575(अ) दिनांक 25 अगस्त, 1993 द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2004

G. S. R. 704(E).—In exercise of the powers conferred by clause (cc) of sub-section (3) of Section 9 of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), the Joint Committee constituted under sub-section (1) of that section, after consultation with the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Members of Parliament (Travelling and Daily Allowances) Rules, 1957, the same having been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People, as required under sub-section (4) of the said section, namely :—

1. (1) These rules may be called the Members of Parliament (Travelling and Daily Allowances) (Amendment) Rules, 2004.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Members of Parliament (Travelling and Daily Allowances) Rules, 1957—

(a) in rule 3A,—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rules (1) shall be substituted, namely :—

"(1) A Member is entitled to receive travelling allowance in respect of journey performed by air in any airlines.

(1A) The airfare referred to in clause (b) of sub-section (1) of Section 4 or in clause (b) of sub-section (1), and sub-section (2) of Section 5 shall be calculated by the direct route :

Provided that where there are more routes than one, the air fare shall be calculated by the route by which a member may reach his destination at the earliest."

(ii) in sub-rule (5),—

(i) in clause (ii) for the figure, letters and brackets "6B(iii)", the figure and letter "6B" shall be deemed to have been substituted with effect from the 7th June 2000.

(ii) In proviso to sub-rule (5), for the words "Indian Airlines/Vayudoot" the words "concerned Airlines" shall be substituted.

(b) in rule 4A, for letters, figure and words for the words "Rs. 5 per kilometre", the letters, figure and words "rupees 8 per kilometre" shall be deemed to have been substituted, with effect from the 14th September, 2001.

(c) in rule 5, in the Note for the letters and figures "Rs. 200" the letters and figures "Rs. 500" shall be deemed to have been substituted, with effect from the 14th September, 2001.

(d) in rule 10, in proviso to sub-rule (2), for the words "twenty-eight", the words "thirty-two" shall be deemed to have been substituted, with effect from the 20th August, 1998.

[No. RS-8/2004/MSA]

TAPAN CHATTERJEE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published *vide* S.R.O. 1150 dated 6-4-1957 and subsequently amended *vide* notification numbers G.S.R. 339(E), dated 2nd July, 1973, G.S.R. 770(E), dated 1st October, 1983 and G.S.R. No. 575(E), dated 25-8-1993.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.